

14A

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग**

पंजीकृत/प्रो०-१११

आ.सं०-३०१-एम०टी०/सामान्य वर्ग/१०एम०टी०-३९/०७

दिनांक 24/11/2007

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सतीश चन्द्र यादव, पुत्र घमण्डी सिंह, गली नं०-८, पंजाबी कालोनी, जिला-मैनपुरी का पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक 3209एम०टी०/एम०टी०-११/०७ दि०-१०.१०.०७ तथा मार्ग कार्य करने हेतु भेजी गई टीकेदारों में किया गया था तथा पत्रांक 1658एम०टी०/एम०टी०-११/०७ दि०-२६.८.०७ द्वारा उक्त पंजीकरण का नवीनीकरण दि०-३०.६.०७ तक के लिये किया गया था।

श्री सतीश चन्द्र यादव, पुत्र घमण्डी सिंह, गली नं०-८, पंजाबी कालोनी, जिला-मैनपुरी के नाम अनुबंध स०-३४/ई०ई० दि०-३०.६.०५ जनपद-मैनपुरी जंम घोशटे से टीकानी मार्ग पर रेशन नदी पर सेतु की पूर्ण मार्ग के निर्माण एवं सार्वजनिक कार्य हेतु मंजूर किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि ३.६.०५ तथा कार्य की समाप्ति की तिथि-१७.८.०५ थी।

उक्त अनुबंध के अन्तर्गत संपादित कराये गये कार्य में श्री मवीश चन्द्र यादव, पुत्र घमण्डी सिंह, गली नं०-८, पंजाबी कालोनी, जिला-मैनपुरी द्वारा निम्नलिखित अनिश्चितताएँ की गईं-

1. अनुबंध में २१,३०० घनमी० दुर्लुई की मिट्टी के कार्य तथा १२मी० गैर बिट्स एवं २:१ साइड स्लॉप का प्रकियाल-स्य परन्तु टेकेदार द्वारा मिट्टी का कार्य कम छोड़ाई में किया गया तथा साइड स्लॉप नार्मल के अनुसार नहीं बनाये गये इस प्रकार टेकेदार के द्वारा कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं किया गया।
2. जंम के दौरान टेकेदार द्वारा की गई मिट्टी की मात्रा १३१६६.०० घनमी० पाई गयी, जिसकी लागत रु० ७,२३,०४१.०० के परन्तु टेकेदार द्वारा १७४३२.३२ घनमी० मिट्टी के कार्य हेतु विभागीय दर ७०.३० प्रति घनमी० से २२ प्रतिशत कम अनुबंध की दर से रु० ९,५५,८७०.०० को भुगतान विभाग में प्राप्त किया गया इस प्रकार टेकेदार के द्वारा रु० ९,५५,८७०.००-७,२३,०४१.००=२,३२,८२९.०० रु० का अधिक भुगतान प्राप्त कर शासन को धरि पहुँचाई गयी।

टेकेदार द्वारा कार्य विशिष्टियों के अनुरूप न किए जाने एवं किए गये कार्य का अधिक भुगतान प्राप्त कर शासन को जांचित नहीं पहुँचाए जाने के कारण टेकेदार को इस कार्यालय के पत्रांक ७७८एम०टी०/४०एम०टी०-३९/०७ दिनांक २०.११.०७ द्वारा 'कारण बताओ नोटिस' इस निर्देश के साथ भेजी गयी कि यह एक सप्ताह के अन्दर कारण बताएं कि क्यों न उक्त पंजीकरण निरस्त हो, काली सूची में डाल दिया जाए। टेकेदार ने अपने पत्र दिनांक ७.१२.०७ के द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया। टेकेदार द्वारा प्रस्तुत उत्तर सम्बन्ध विचारोपरान्त उचित नहीं पाया गया। अतः श्री सतीश चन्द्र यादव पुत्र श्री घमण्डी सिंह, गली नं०-८, पंजाबी कालोनी, जिला-मैनपुरी को उक्त कार्य के लिए काली सूची में डाले जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

Eo/-
(शैलेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियन्ता (मु०-२)
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लो०नि०अनु०-१३, उ०प्र० शासन लखनऊ को उनके अर्द्ध आ० पत्र सं०-जांच-२९/२३-१३-०७-२७ (७६०एम०/२००७ दि०-२६.८.०७ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि० लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो०नि०वि० आगरा को उनके पत्रांक-१कैम्प/२१एम०टी०(म०नि०) आ०सं०/२००७ दि०-१७.११.०७ के संदर्भ में।
4. मुख्य अभियन्ता (परिवाद) को उनके पत्रांक-५१६६ई०एम०(स)/मि०-१७ई०एम०-२४१९/०७ दि०- १०.१०.०७ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(नाम से) लो०नि०वि०, उ०प्र०, विश्वकेत, भवन, रा०गा०, पी०एम०गी०एम०वाई० तथा डाम्प/मॉडिफ, लो०नि०वि० लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिन्धु विभाग, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, उ०प्र० लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन, गण्डौ परिवहन, गोमतीनगर लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, लखनऊ।
11. श्री सतीश चन्द्र यादव, पुत्र घमण्डी सिंह गली नं०-८, पंजाबी कालोनी, जिला-मैनपुरी।
12. अवीक्षण अभियन्ता, एटा जूट, लो०नि०वि० एटा।
13. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० मैनपुरी।

(महबानदीन)
वरिष्ठ स्टाफ आफीसर(स०)
लो०नि०वि०, लखनऊ

24/12